न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः— 06/2019 तारीख रजू :—08.01.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर

..........आवेदक

बनाम

मीठालाल मीना पुत्र कल्याण मीना (विक्रेता व मालिक)— फर्म — विनायक जनरल स्टोर गणेश धाम शेरपुर खिलचीपुर, रणथम्भौर रोड़ सवाई माधोपुर निवासी ग्राम खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर (राज0)।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः— दिनांक 30/5/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद जैन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम , 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.09.2018 का लगभग 05.00 पीएम पर दौरान गस्त फर्म — विनायक जनरल स्टोर गणेश धाम शेरपुर खिलचीपुर रणथम्भौर रोड सवाई माधोपुर पर श्री नरेश कुमार चेजारा एफएसओ कार्यालय सीएमएचओ सवाई माधेपर के साथ निरीक्षण हेतु पहंचा । वहॉ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम मीठा लाल मीना पुत्र श्री कल्याण मल मीना जाति मीना व स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। मीठा लाल मीना अपनी दुकान पर तेल , घी, बेसन बिस्कुट नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ सामग्री आम जनता को विकया करना बताया। आवेदक ने मीठा लाल मीना से दुकान का वर्ष 2018 का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स एवं स्वयं का पहचान पत्र दिखाने को कहा तो दुकान का खाद्यपदार्थ रजिस्ट्रेशन आवेदक को दिखाया गया एवं एक छायाप्रति प्रेषित की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विकय परिसर में आम जनता को विकय हेतु रखे हुए खाद्य वस्तु बेसन (खुला) लगभग 7 किलो एक प्लास्टिक के खुले कट्टे में रखा हुआ था का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता मीठा लाल मीना से कट्टे में रखे हुए बेस[illegible] में से शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने हेतु जानकारी फार्म 5 ए तैयार कर [illegible] करवाकर तथा आवेदक के हस्ताक्षर करवाकर दी गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान पर एक प्लास्टिक के खुले कट्टे में रखे हुए बेसन (खुला) को [illegible] उसमें से 2 किलो बेस[illegible]) की शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बावत खरीदा जिसकी कीमत विकता के बताये अनु[illegible] बाजार भाव से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

140/– रूपये अक्षरे एक सौ चालीस रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदसुदा बेसन (खुला) को अच्छी तरह मिक्स कर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर बराबर भरकर प्रत्येक डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह टाईट बन्द कर चार लेबल तैयार करके उनके उपर स्थान, दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षकर करवाकर चार लेबलो को प्रत्येक डिब्बे पर अलग–अलग चिपकाया । प्रत्येक डिब्बे को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड एवं सिरियल नम्बर एच– 1496 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाकर प्रत्येक डिब्बे को एक मोट मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार –चार जगह से चपडी से सील मोहर करके चारो डिब्बो पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द डिब्बो को अपने कब्जे में लिया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नमबर 6 की छ प्रतियॉं तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौक पर नमूना सील बन्द किया गया। उक्त फॉर्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूनो का एक सील बन्द डिब्बा एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा अलग से फॉर्म नम्बर 6 की दो प्रतियां एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मौहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को दिनांक 25.09.2018 को खाद्य विश्लेष्क के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र कमांक एफएसएसए/2018 /4011 दिनंक 24.10.2018 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्यसा 560/ एफएसएल /कोटा/एक्ट/2018/608 दिनांक 12.10.2018 के अनुसरा उक्त खाद्य वस्तु बेसन (खुला) का नमूना अवमानक स्तर प्रकृति का पाया गया । यह है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता ने अवमानक स्तर की प्रकृति की खाद्य वस्तु का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के तहत जर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की स्वयं अभियुक्त द्वारा विधिवत तामील होने के बाबजूद अभियुक्त नियत दिनांक को न्यायालय में अनुपस्थित। अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **बेसन** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) तथा उक्त नमूने के संबंध में बार बार पत्र लिखने के उपरांत भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस /वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई जो कि एफएफएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(डी) का उल्लंघन है । अतः अभियुक्त को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त को जारी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त को जबाव पेश करने हेतु 21 अवसर दिये जाने के बावजूद भी अभियुक्त के जबाव पेश नहीं करने तथा न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर देते हुये नोटिस कमांक 1942

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

दिनांक 30/12/21 जारी किया गया जिसकी पुश्त पर तामील कुलिन्दा द्वारा अप्रार्थी की दुकान पर मौजूद विक्रेता द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर करने से मना करना अंकित किया गया। अप्रार्थी को आदेशिका दिनांक 30–12–2021 के अनुसार अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने के बावजूद भी न्यायालय हाजा में नियत पेशी दिनांक तथा आगामी पेशी पर बार – बार आवाज दिलवाई जाने पर असालतन एवम् वकालतन न्यायालय मे अनुपस्थित रहने पर आदेशिका दिनांक 27.05.2022 के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 560/FSSL/Kota/Act/2018/608 दिनांक 12.10.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बेसन(खुला) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard Food U/S 3(1)(zx) of FSSA 2006) की प्रकृति का पाया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को अवमानक स्तर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ बेसन (खुला) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/5/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:28:51 IST
Reason: SelfAttested